



श्रम संगठन

प्रवेशांक


जनवरी - जून 2015



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान



श्रम संगम



मुख्य संरक्षक
श्री मनोज कुमार गुप्ता
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. पूनम एस. चौहान,
वरिष्ठ फेलो
डॉ. संजय उपाध्याय,
फेलो
श्री बीरेन्द्र सिंह रावत,
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैकर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की
मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का
है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के
लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

प्रवैशांक : जनवरी-जून 2015

अनुक्रमाणिका

○ महानिदेशक की कलम से...	1
○ संदेश	2
○ वी.वी. गिरि: व्यक्तित्व एवं कृतित्व	3
○ संविधान और श्रमिक - संजय उपाध्याय	6
○ क्या आप जानते हैं? - बीरेन्द्र सिंह रावत	7
○ कहानी: अस्थिदान	8
○ कविता: शिशिर का स्पर्श - एलीना सामंतराय	9
○ वृत्ति से निवृत्ति - स्वामी विवेकानंद का चिंतन	10
○ कविता: प्रेम का स्वरूप - मोनिका गुप्ता	11
○ प्राकृतिक सौंदर्य में तीर्थाटन एवं पर्यटन - कैलाश सी. बुड़ाकोटी	12
○ कविता: परिश्रम का महत्व - उषा शर्मा	13
○ प्रेरक प्रसंग - जीने की राह	14
○ कविता: भारत-निर्माण - बीरेन्द्र सिंह रावत	16
○ भारत में आतंकवाद की समस्या - राजेश कुमार कर्ण	17
○ सिक्किम: अद्भुत सफलता वाला राज्य	20
○ याष्ट्र निर्माण हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लिंग संवेदी कार्यस्थल का सृजन	21
○ कहानी: कौटर और कुटीर	22
○ तीन बातें - अवनींद्र कुमार श्रीवास्तव	25
○ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	26



महानिदेशक की कलम से...



राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दिशा में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपनी गृह पत्रिका '^Je Axe^' का प्रकाशन किया जाना बड़े हर्ष का विषय है। मुझे यह बताते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि '^Je Axe^' का प्रवेशांक वी.वी. गिरि के नाम से विख्यात प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति 'भारत रत्न' वराहगिरि वेंकट गिरि जी को समर्पित किया गया है।

हिंदी एक अत्यंत सरल, सहज एवं सुबोध भाषा है। इसका साहित्य काफी समृद्ध है और इसमें ग्रहणशीलता भी बहुत है। यह जन-जन की भाषा है तथा इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न भाषा-भाषी लोगों को एक साथ जोड़ कर आजादी की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की। हिंदी की इन्हीं सब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। अतः हम सबका यह संवैधानिक कर्तव्य है कि हम अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए अपने कार्यलयीन कामकाज में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दें।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका राजभाषा का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके बच्चों को अपने भावों को राजभाषा में व्यक्त करने तथा अपनी रचनात्मकता को निखारने का सुअवसर प्रदान करेगी।

'^Je Axe^' पत्रिका के आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का स्वागत करते हुए इसका प्रवेशांक आपको समर्पित है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

मान्दे
%euhk dekj xIrk/2



सत्यमेव जयते



श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

भारत सरकार

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली-110001

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

GOVERNMENT OF INDIA

SHRAM SHAKTI BHAWAN, RAFI MARG,

NEW DELHI-110001

संदेश


यह अति प्रसन्नता का विषय है कि वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने अपनी एक राजभाषा पत्रिका “श्रम संगम” के प्रकाशन का निर्णय लिया है। निश्चय ही संस्थान का यह प्रयास उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में मूल लेखन के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगा और पत्रिका के सतत प्रकाशन से उनकी लेखन प्रतिभा में निरंतर निखार आएगा। मैं आशा करता हूं कि यह पत्रिका संस्थान के उद्देश्य तथा गतिविधियों को लोगों तक सहज रूप से पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी तथा विभिन्न रूचिकर विषयों पर लेख आदि समाहित करते हुए पत्रिका का प्रवेशांक एक संग्रहणीय अंक होगा।

पत्रिका के प्रवेशांक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(एस.एल.जुगरान)
संयुक्त निदेशक, (रा.भा.)

वी.वी. गिरि: व्यक्तित्व एवं कृतित्व

वी.वी. गिरि के नाम से विख्यात भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरि वेंकट गिरि का जन्म 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के गंजम जिले के बरहामपुर गाँव के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जोगैया पंतुलू कांग्रेस के सदस्य एवं लोकप्रिय वकील थे। उनकी माता सुभद्रम्मा एक सुशिक्षित एवं धर्मपरायण महिला थीं।



गिरि जी जब केवल 12 वर्ष के थे, तब ही उनके मन में समाज सेवा की इच्छा ने जन्म ले लिया था और उन्होंने अपने यहां के युवाओं के साथ मिलकर अपने चाचा विश्वनाथ के मार्गदर्शन में युवा पुस्तकालय संघ की स्थापना की और पुस्तकालय आंदोलन की अगुवाई की। वर्ष 1913 में मद्रास से एफ. ए. (इंटरमीडिएट) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे डब्लिन में कानून की पढ़ाई करने के लिए चले गए। उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश भरा था, उसके कारण वे जल्दी ही आयरलैंड के क्रांतिकारियों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गये। उन्होंने अन्य भारतीय छात्रों के साथ मिलकर इंडियन स्टुडेंट्स यूनियन नामक संस्था का गठन किया। तीन वर्ष तक उन्होंने आयरलैंड में ब्रिटिश हुकूमत विरोधी प्रचार इतनी तीव्र गति से चलाया कि वे ब्रिटिश सरकार की आँखों में खटकने लगे। सरकार को शक हुआ कि वे आयरलैंड के क्रांतिकारियों से मिल गये हैं और ब्रिटेन विरोधी आंदोलन को हवा दे रहे हैं। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पुर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश न कर सकी जिससे यह साबित हो सके कि आयरलैंड के क्रांतिकारियों से उनका कोई संबंध है। अतः सरकार उन्हें जेल में न डाल सकी। परन्तु वे पुलिस की नजरों में आ चुके थे, अतः अब उन्हें डब्लिन में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी गयी और उन्हें भारत वापस आने पर मजबूर किया गया।

वर्ष 1916 में वे भारत लौट आए और उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में उस समय के प्रख्यात अधिवक्ता टी. प्रकाशम के जूनियर के रूप में वकालत शुरू कर दी। वर्ष 1922 के आरंभ में उन्होंने वकालत छोड़ दी और महात्मा गांधी के अहिंसा मूलक सत्याग्रह आन्दोलन को पूरा समर्थन देते हुए वे आन्दोलन में कूद पड़े। उन्होंने गंजम जिले में लोगों के बीच देशभक्ति का ऐसा मंत्र फूंका कि अकेले इसी क्षेत्र में 350 लोगों ने गिरफ्तारी दी और जेल गए। 14 मार्च 1922 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जनवरी 1921 में बंगाल-नागपुर रेलवे के मजदूरों ने बी. एन. रेलवे यूनियन नामक एक यूनियन का गठन किया था। यूनियन के अधिकांश नेता जेल में थे। मजदूरों के हितों को देखने वाला तथा कानून की बारीकियों को जानने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि अधिकतर वकील भी जेल चले गए थे। ऐसे में जब गिरि जी को जेल से रिहा किया गया तो यूनियन के नेता के सत्यनारायण ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उनके गले में फूलों की माला डालकर उनका स्वागत किया तथा उनसे यूनियन का नेतृत्व स्वीकार करने का अनुरोध किया।

स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने के साथ-साथ मजदूरों के शोषण के खिलाफ लड़ना भी गिरि जी के जीवन का उद्देश्य था, अतः वे तुरंत तैयार हो गए। वे यूनियन के आर्गेनाइजिंग वाइस प्रेसीडेंट चुन लिए गए। आयरलैंड में सदस्यता निर्माण की जो ट्रेनिंग उन्होंने प्राप्त की थी, उसका उपयोग करते हुए उन्होंने दो वर्ष में ही इस यूनियन को चरम पर पहुँचाने में सफलता प्राप्त कर ली। इसकी संख्या में भारी वृद्धि हो गई। जुलाई 1924 में यूनियन के प्रेसीडेंट का चुनाव हुआ और वे प्रेसीडेंट चुन लिए गए। दिसम्बर 1925 में बी. एन. रेलवे मैनेजमेंट तथा यूनियन के बीच मुकदमा अदालत में पहुँचा। इसका एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी परिणाम

आया। रेलवे के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ने 07 दिसम्बर 1925 को यूनियन की माँगें मानते हुए सूचना जारी कर दी जिसके अनुसार वर्कशॉप में काम करने की अवधि साढ़े आठ घंटे प्रतिदिन से घटाकर साढ़े छह घंटे प्रतिदिन कर दी गयी थी। हर शनिवार को वर्कशॉप का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया तथा महीने में आठ अतिरिक्त छुटियां देने की घोषणा की गयी। गिरि जी वर्ष 1922 से वर्ष 1934 तक यूनियन की राजनीति में बेहद सक्रिय रहे, वे ट्रेड यूनियन की लगभग सारी बारीकियां समझने लगे।

वर्ष 1927 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें जेनेवा जाने का अवसर मिला। सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान उन्होंने भारत में बेरोजगारी की विषम स्थिति की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया तथा इसके निराकरण के लिए रोजगार केंद्रों की स्थापना और बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात प्रमुखता से रखी। मजदूरों की छंटनी किए जाने की स्थिति में उन्हें छंटनी भत्ता देने की वकालत की जिससे मजदूरों द्वारा छोटी-मोटी गलती किए जाने पर उन्हें रोजगार से निकालने की मालिकों की नाजायज प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

वर्ष 1934 में गिरि जी केंद्रीय विधान सभा के साथ-साथ मद्रास राज्य की विधान सभा के लिए भी चुने गए। मद्रास राज्य में राजाजी ने सरकार बनाई। उनकी सरकार में गिरि जी श्रम मंत्री बनाये गये। वर्ष 1937 आते-आते वे एक सफल अधिवक्ता (श्रम कानून) तथा राजनेता बन चुके थे।

यह तथ्य कम ही लोगों की जानकारी में है कि गिरि जी भारत में नियोजन के प्रणेताओं में से एक थे। उन्होंने इस दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाते हुए अखिल भारतीय नियोजन तंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। इस संबंध में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और प्रख्यात राजनेता सर एम. विश्वेसरैया का सहयोग लिया। वर्ष 1938 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस शासित प्रांतों के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उन्हें अखिल भारतीय नियोजन आयोग की रूपरेखा तैयार करने और इसकी प्रारंभिक

समिति की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

कांग्रेस के संरक्षक तथा महान नेता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बार-बार वचन देकर भंग करने की अंग्रेजों की चालों से दुखी हो चुके थे। अतः उन्होंने कांग्रेस के मंच से यह घोषणा कर दी कि भारत को स्वराज से कम पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं। इसलिए कांग्रेस ने केंद्र तथा राज्यों की सरकारों से इस्तीफा दे दिया। 28 अक्टूबर 1939 को राजाजी सरकार ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गिरि जी अब सरकार चलाने के दायित्व से मुक्त हो गए थे। राजनीति से हटते ही उन्होंने अपना पूरा ध्यान ट्रेड यूनियन के काम में तथा कानूनी क्षेत्र में लगा दिया।

08 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ा आन्दोलन की घोषणा कर दी। उस समय गिरि जी ट्रेड यूनियन के काम से दिल्ली गये हुए थे। वे उसी वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। 14 अगस्त 1942 को गिरि जी के आहवान पर पूरे देश में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सारे उद्योगों की व्यवस्था चरमरा गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे अनेक कांग्रेसी नेताओं के साथ तीन वर्ष तक अमरावती जेल में रहे। वर्ष 1946 में हुए राज्य विधान सभाओं के चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की। मद्रास में प्रकाशम ने कांग्रेस की सरकार बनाई और उनकी सरकार में गिरि जी श्रम मंत्री बनाए गए। एक वर्ष तक अनेक आपसी संघर्षों के बीच सरकार चली। इससे खिन्न होकर 24 मार्च 1947 को गिरि जी ने सरकार से इस्तीफा दे दिया।

वर्ष 1947 में उन्हें श्रीलंका में भारत का पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और वे वर्ष 1951 तक इस पद पर रहे। उस वर्ष हुए भारत के पहले आम चुनावों में गिरि जी मद्रास राज्य के पठापट्टनम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। वर्ष 1952 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री बनाया।

केंद्रीय श्रम मंत्री के तौर पर शुरू की गई उनकी नीतिगत पहलों में औद्योगिक विवादों को सुलझाने हेतु एक साधन के तौर पर प्रबंधन एवं कामगारों के

बीच समझौता वार्ताओं पर जोर दिया गया। औद्योगिक विवादों को सुलझाने में इसे "गिरि दृष्टिकोण" के नाम से जाना गया। इसमें कहा गया था कि ऐसी समझौता वार्ताओं में असफल रहने पर अनिवार्य न्याय-निर्णयन के बजाय सुलह अधिकारियों के माध्यम से और समझौता वार्ताएं की जानी चाहिए। गिरि जी ने 30 अगस्त 1954 को सरकार से इस्तीफा दे दिया क्योंकि बैंक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सरकार ने अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उपयोग करते हुए श्रम अधिकरण के फैसले को अपास्त कर दिया था। यद्यपि उनके कुछ सहयोगियों की राय में न्यायमूर्ति राजाध्यक्ष के पंचाट (अवार्ड) को स्वीकार करना बैंकिंग व्यवस्था के विरुद्ध था तथा इसके परिणाम इतने गंभीर हो सकते थे जिससे कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती थी, किंतु गिरि जी का मत इससे भिन्न था। उनका यह मत था कि अपीलीय अधिकरण के पंचाट को स्वीकार और प्रवर्तित किया जाना चाहिए। गिरि जी के पद त्याग का प्रभाव देश में इतना व्यापक हुआ कि सरकार को विवश होकर न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में पूरे मामले पर एक बार फिर से विचार करने हेतु एक आयोग गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। अंततः सरकार ने पंचाट को पूरी तौर पर स्वीकार किया। यह घटना मात्र गिरि के लिए नैतिक जीत नहीं थी बल्कि इसने संपूर्ण श्रमिक वर्ग के पक्ष में बढ़त दर्ज की।

उन्होंने 1957 से 1960 तक उत्तर प्रदेश, 1960 से 1965 तक केरल, और 1965 से 1967 तक कर्नाटक के राज्यपाल का पदभार संभाला। 13 मई 1967 को वे भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए, तथा 03 मई 1969 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के देहावसान के पश्चात उन्हें भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ा, तथा 16 अगस्त 1969 को हुए चुनाव में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन से सत्ताधारी दल, कॉन्ग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी तथा विपक्ष के उम्मीदवार सी. डी. देशमुख को हराया। वे 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे।

1975 में उन्हें लोक कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया। 23 जून 1980 को मद्रास में हृदयाघात से उनका देहावसान हो गया।

उन्होंने इंडियन सोसायटी ऑफ लेबर इकनॉमिक्स की स्थापना में अहम योगदान दिया। उन्होंने भारत में श्रमिकों के मुद्दों पर दो दो बहुत ही लोकप्रिय पुस्तकें "इंडस्ट्रियल रिलेशंस" तथा "लेबर प्रोब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री" लिखीं। उनके संस्मरणों को 1976 में "मार्झ लाइफ एंड टाईम्स" शीषक से प्रकाशित किया गया।

Oho! fxfj ds 'Knhke&

- लोकतन्त्र को कामयाब बनाने के लिए राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। लोकतन्त्र का अर्थ चुनावों में मतदान करना अथवा शासकों का चयन करना मात्र नहीं है, बल्कि इसका आशय एक ऐसी वास्तविक समानता लाने से है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक समानता हो, कानून की दृष्टि में सब समान हों और सबको एक समान अवसर प्राप्त हों।
- नए भारत के निर्माण के लिए अनुशासित, सुप्रशिक्षित तथा देशभक्त लोगों की सेवाओं की आवश्यकता होगी। किसी समाज के सामंजस्यपूर्ण विकास में यह नहीं हो सकता है कि एक वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त हों तथा दूसरा वर्ग वंचित हो।

संविधान और श्रमिक

संजय उपाध्याय, फेलो



भारत का संविधान देश का मौलिक, आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। संविधान, राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण हेतु तथा श्रम कानूनों सहित सभी प्रकार के कानूनों के लिए व्यापक विनियामक ढांचे की भूमिका अदा करता है। संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि तथा भावी पीढ़ियों के लिए संजोये गए उनके स्वप्नों को भी प्रतिबिंबित करता है। जहाँ तक श्रमिकों का संबंध है, संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय—III और राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों से संबंधित अध्याय—IV में ऐसे अनेक प्रावधान हैं, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तौर पर श्रमिकों से संबंधित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि कई मामलों में, विभिन्न श्रम अधिनियमों के उल्लंघनों से संविधान के अध्याय—III में निहित विभिन्न मूल अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। अतः, श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए संविधान के बुनियादी पहलुओं की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। यह आलेख संविधान के ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिनका ज्ञान श्रम कानून प्रवर्तन अधिकारियों तथा श्रम कानूनों से जुड़े विभिन्न पक्षकारों को, प्रमुख श्रम कानूनों के ज्ञान तथा विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं, कौशलों एवं गुणों के अतिरिक्त, होना ही चाहिए जिससे कि श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

संविधान की उद्देशिका, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाज के समाजवादी स्वरूप, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और अवसरों की समानता, बंधुत्व और मानवीय गरिमा जैसे पहलुओं पर विशेष जोर देती है। सामान्य शब्दों में, जब तक संविधान निर्माताओं के आदर्शों एवं अपेक्षाओं, जो वास्तव में अर्थव्यवस्था के संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले तथा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करने वाले जनसमूह की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं

को प्रतिबिंबित करते हैं, को प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक हम राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की आशा नहीं कर सकते। उपरोक्त आदर्शों में से अधिकांश आदर्शों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उन सभी व्यक्तियों, जो नियोजनीय आयु वर्ग में हैं, को काम (यथासंभव पसंद और योग्यता के अनुरूप) करने के अवसर सुलभ हों, किए गए काम के लिए उन्हें पर्याप्त मजूदरी, वेतन अथवा पारिश्रमिक दिया जाए, उनके योगदान को विधिवत मान्यता मिले और उनकी कार्यदशाएं न्यायोचित, उचित एवं मानवीय हों। दूसरे शब्दों में, आवश्यकता यह सुनिश्चित किए जाने की है कि जो काम वे करते हैं, वह उन्हें खुद को साबित करने हेतु अपनी क्षमता का पूरा—पूरा उपयोग करने के लिए, अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का इष्टतम उपयोग करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे। विभिन्न श्रम कानूनों का उद्देश्य, अलग—अलग एवं संपूर्णता में उपरोक्त उद्देश्यों में से एक या अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यही वास्तव में उद्देशिका का सार है।

जहाँ तक मूल अधिकारों का प्रश्न है, कामकाजी आयु वर्ग के सभी नागरिकों को काम करने के अवसर, उचित मजूदरी, आधारिक और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा उपाय और कार्य की उचित एवं मानवीय दशाएं प्रदान किए बिना विभिन्न अधिकारों में से कम से कम चार मूल अधिकारों, नामतः समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में कोई तर्क दे सकता है कि मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं न कि निजी व्यक्तियों / संगठनों आदि के विरुद्ध। इस प्रकार के तर्क का एक सीधा सा जवाब यह है कि यह तर्क बहुत अधिक सारवान नहीं है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अनेक मामलों में निर्णय दिया है कि जहाँ तक जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध है, ये

अधिकार न केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं अपितु विभिन्न निजी निकायों/संगठनों आदि के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।

जहां तक विभिन्न श्रमिक सरोकारों का संबंध है, मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय के तहत विभिन्न प्रावधानों के अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्त्वों से संबंधित संविधान के अध्याय-IV में भी निर्वाह मजूदरी, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं, तथा ऐसी नीतियों, जो कुछ ही लोगों के हाथों में धन के संकेंद्रण को हतोत्साहित करती हों, को बनाने और उनके संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। हालांकि अध्याय-IV में निहित प्रावधान तकनीकी तौर पर प्रवर्तनीय (अधिकार

स्वरूप जिनकी मांग नहीं की जा सकती) नहीं हैं, फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में निर्णय दिया है कि वे देश के शासन में मौलिक स्थान रखते हैं। कई मामलों में यह भी निर्णय दिया गया है कि अध्याय-IV में निहित प्रावधान वास्तव में साध्य हैं और अध्याय-III में निहित प्रावधान उन साध्यों को प्राप्त करने के साधन। ये दोनों अध्याय वास्तव में एक—दूसरे के अनुपूरक और पूरक हैं न कि विरोधी।

सारांशः कहा जा सकता है कि संविधान के बुनियादी पहलुओं की यथोचित समझ और ज्ञान विभिन्न श्रम कानूनों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

क्या आप जानते हैं?

बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक



- इक प्रत्यय लगने पर शब्द में क्या परिवर्तन होते हैं?

इक प्रत्यय लगने पर शब्द में दो परिवर्तन होते हैं— 1. आदि स्वर को वृद्धि होती है। 2. अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। जैसे सप्ताह + इक = साप्ताहिक, इसमें स के अ को वृद्धि हुई और स + अ = सा बन गया, तथा ह के अ का लोप हो गया और ह का ह बन गया। फिर उसके साथ इक प्रत्यय लगने पर पूरा शब्द साप्ताहिक बना। इसी प्रकार इतिहास + इक = ऐतिहासिक एवं मूल + इक = मौलिक शब्द बने। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आदि स्वर इ, ई को वृद्धि होने पर ऐ, तथा आदि स्वर उ, ऊ को वृद्धि होने पर औ बनता है। इस प्रकार बने कुछ और शब्द हैं:—

मासिक	वार्षिक	दैनिक	तात्कालिक
धार्मिक	भौतिक	पौराणिक	प्रामाणिक
नैतिक	सामाजिक	आर्थिक	भौगोलिक
सांसारिक	लौकिक	वैज्ञानिक	स्वाभाविक

- (i) भारत के केवल 07 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं। ये राज्य हैं:—

jkt;	lnL; kdh l q; k
उत्तर प्रदेश	104
बिहार	75
जम्मू और कश्मीर	36
महाराष्ट्र	78
कर्नाटक	75
आंध्र प्रदेश	58
तेलंगाना	40

- (ii) गुलजारीलाल नंदा दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। पहली बार वर्ष 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और पुनः वर्ष 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद।

अस्थिदान

प्राचीन काल की बात है, देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे जिससे मनुष्यों की भलाई होती रहे जबकि असुर, देवताओं और मनुष्यों को सताते रहते थे। वे पापाचारी थे और अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे, अतः देवताओं से युद्ध करते रहते थे। असुरों की सेना के नायक का नाम वृत्रासुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके आतंक से सभी देवतागण भयभीत हो गए थे। कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा था। देवताओं ने असुरों को पराजित करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

अब देवतागण हताश हो गए। उन्होंने सोचा "हमें ब्रह्मा जी से सलाह लेनी चाहिए।" वे अपने नायक इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र ने कहा "प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि असुरों और देवताओं के मध्य कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया परंतु असुरों को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। असुरों का नायक वृत्रासुर बहुत ही शक्तिशाली है और चतुर भी है। हम लोग उससे बहुत त्रस्त हैं। कृपा करके वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए।"

पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले "आप निराश न हों। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप लोग प्रयास करें तो निश्चय ही विजय प्राप्त होगी।" इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा "श्रीमान! आप शीघ्र उपाय बताएँ, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे।"

ब्रह्मा जी ने कहा— "नैमिषारण्य वन में गोमती नदी के तट पर एक तपस्वी रहते हैं। उनका नाम *nelli* है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल से अपार शक्ति एकत्र कर ली है। यदि उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए जो उससे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है।"

इंद्र ने कहा— "वे तो अभी जीवित हैं, भला वे अपनी अस्थियाँ हमें क्यों देंगे?" ब्रह्मा जी ने कहा "मेरे पास जो

उपाय था वह मैंने बता दिया। अब आप लोग दधीचि के पास जाएं, उन्हें अपनी विपत्ति से अवगत कराएं, उनसे प्रार्थना करें। वे अवश्य ही अपनी अस्थियाँ दान कर देंगे। इस समस्या का समाधान केवल दधीचि ही कर सकते हैं।"

ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और आशीर्वाद प्राप्त करके देवता चल पड़े। वे नैमिषारण्य वन में पहुँचे। गोमती नदी के किनारे शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीचि का आश्रम था। चारों तरफ घने वृक्षों और लताओं से घिरे हुए कुंज थे जिनमें तरह-तरह के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भौंरे गुंजन कर रहे थे। वहाँ पशु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। ऋषि ध्यानावस्था में बैठे थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए।

ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा, फिर उनसे पूछा— "कहिए देवराज! कैसे आना हुआ?" इंद्र बोले — "महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई। महर्षि आपको ज्ञात होगा कि इस समय असुरों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी है। वे तरह-तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। वह बहुत शक्तिशाली भी है। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई है। वह बिना कारण ही प्राणियों का वध कर रहा है। यदि वह जीवित रहा तो संपूर्ण प्राणि जगत खतरे में पड़ जाएगा। वृत्रासुर का वध करने में हम देवता भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं।" महर्षि ने कहा— "मेरी भी चिंता का विषय यही है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते?"

इंद्र ने कहा— "ब्रह्मा जी से बात कर चुका हूं। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु...?" "किंतु.... किंतु क्या? देवराज! आप रुक क्यों गए? साफ-साफ कहिए। इस कार्य के लिए यदि मेरे प्राणों की जरूरत भी पड़े तो मैं सहर्ष ही देने को तैयार हूं।" दधीचि बोले। यह सुनकर इंद्र ने कहा, "हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि यदि आपकी अस्थियों से वज्र

बनाया जाए तो उससे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है।”

यह सुनना था कि दधीचि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने कहा— “देवराज, आपकी बात सुनकर मेरा रोम—रोम पुलकित हो रहा है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है? आज मेरा जीवन धन्य हो गया।”



एक शांत हवा उड़ने लगी है
हरियाली फिर से भर आई है
मानो जिंदगी की नयी डोर खुल गयी है
नए फूल, नए फल, नया जीवन
लेकिन मैं आश्चर्यचकित !

लगता है मैं कैद हूँ जंजीर में
और फंसी हूँ एक जाल में
जैसे एक छोटी चींटी फंसी हो मकड़ी के जाल में
मैं जूझती रही, सिसकती रही, पुकारती रही,
लेकिन ऐसा कोई न था, जो मुझे सुन सके।

मेरी सारी वेदना जैसे स्याह,
काली, किसी अंधेरी जगह खो सी गयी है
लगता है मेरी दुनिया कहीं दूर क्षितिज में है
जहां न नए पेड़, न पत्तियां, न फूल हैं
और अनछुए उस शीत हवा से
पुराने जीर्ण पेड़ों ने जैसे अपना रंग खो दिया है।

दधीचि नेत्र बंद करके योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर निर्जीव हो गया। देवराज इंद्र उनके शरीर को आदर से अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से इंद्र ने वज्र बनवाया। देवताओं ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार संपूर्ण जीव—जगत की रक्षा हुई। महर्षि दधीचि को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं।

साभार: पाठ्य पुस्तक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिशिर का स्पर्श

एलीना सामंतराय, एसोसिएट फेलो

ऐसा लगता है कि वे जीवन और शक्ति

खोकर कठोर पत्थरों की तरह

खड़े हैं युद्धभूमि में हारकर

लेकिन, शीत ऋतु आई है, खुशी के गीत लायी है
पर मैं ? ओह ! मैं आश्चर्यचकित ।

और असमर्थ किसी की पुकार सुनने में

मेरे कान जैसे ठंडे और कड़े हो गए हैं

मना कर रहे हैं उस मधुर आवाज को सुनने को
क्योंकि घने काले बादल अब भी नहीं गए हैं।

मैं अर्ज करती, मैं अर्ज करती, मैं अर्ज करती तुमसे
ओह! शिशिर, ओह! शिशिर।

तुम आते हो सफेद हंस की तरह
फैलाते हुए प्यार और शांति का संदेश
ढकते हो फूलों को, पत्तियों को अपनी सफेद चादर से।

अपनी सफेद चादर मेरे ऊपर भी फैलाओ
और तुम्हारी उस फैली हुई सफेद चादर में
मैं आराम करूंगी शांति से, शांति से, शांति से
ओह! शिशिर, ओह! शिशिर।

वृत्ति से निवृत्ति

आम तौर पर हम अपनी वृत्ति (प्रकृति) के गुलाम के होते हैं। मीठी बातों पर मुस्कराते रहते हैं, लेकिन जब कोई कड़वी बात कह दे तो दुखी हो जाते हैं। भीतर की स्वाधीनता के लिए हमें अपनी वृत्ति से निवृत्ति पानी होगी। *Lokeh fooskuṇ t ; arh ॥२ t uojh½ i j mudk fp̄ru.....*

एक बार जब मैं बोस्टन में था, तो एक दिन एक युवक मेरे पास आया और मेरे हाथ पर उसने एक कागज का टुकड़ा रख दिया। कागज पर किसी व्यक्ति का नाम, पता और संदेश हाथ से लिखा था। उसमें लिखा था कि दुनिया की सारी दौलत और सुख पाने की तरकीब सीखिए। फीस सिर्फ पांच डॉलर। उसने मुझसे पूछा— आपका क्या विचार है? मैंने कहा— पहले कम से कम इसे छपाने के लिए पैसा तो कमा लो, फिर दौलत कमाने की तरकीब सिखाना। मेरे कहने का आशय वह नहीं समझ सका। वह इसी विचार में मस्त था कि बिना कोई तकलीफ उठाए ही उसे तमाम सुख और पैसा मिल जाए।

हम इस दुनिया में मनुष्यों में दो प्रकार की चरम वृत्तियां पाते हैं। पहली है चरम आशावादी वृत्ति, जिसमें हर एक वस्तु हमें सुंदर, हरी—भरी और अच्छी प्रतीत होती है। दूसरी है चरम निराशावादी वृत्ति, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी बातें हमारे मन के प्रतिकूल हैं। अधिसंख्य लोग अविकसित मस्तिष्क वाले होते हैं। दस लाख में एक व्यक्ति ही ऐसा कोई होता है, जिसकी बुद्धि का सही विकास हुआ हो। बाकी के लोग या तो अधिकचरे होते हैं या फिर सिरफिरे। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि हम एक न एक चरम वृत्ति का सहारा लेते हैं। जब हम नौजवान और शक्तिवान होते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की सारी भोग की चीजें हम ही पाने वाले हैं और वे हमारे लिए ही पैदा की गई हैं। बाद में जब हम अशक्त हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो हम खाँसते—खाँसते एक कोने में जा बैठते हैं और फिर दूसरों के उत्साह पर भी पानी फेरने लगते हैं। बहुत थोड़े मनुष्यों को इस बात का ज्ञान है कि सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख लगा हुआ है, और



सुख भी उतना ही घृणित है जितना कि दुख, क्योंकि सुख और दुख दोनों जुड़वाँ भाई हैं। जिस तरह दुख के पीछे दौड़ना हमारे मनुष्यत्व की विडंबना है उसी तरह सुख के पीछे दौड़ना भी। जिसकी बुद्धि संतुलित है, उसे दोनों का त्याग करना चाहिए। अपनी वृत्ति के हाथ का खिलौना न बनने का प्रयत्न हम क्यों न करें।

ज्ञानी पुरुष वृत्ति की स्वाधीनता चाहता है। वह जानता है कि विषय भोग निस्सार हैं और सुख—दुख का कोई अंत नहीं है। दुनिया के कितने ही धनवान नया सुख ढूँढ़ने में लगे हैं, किंतु जो सुख उन्हें मिलता है वह पुराना ही होता है। कभी कोई नया सुख हाथ नहीं लगता। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि क्षणिक सुख—संवेदना के लिए प्रतिदिन किस तरह नये—नये आविष्कार किये जा रहे हैं। फिर होती है प्रतिक्रिया। अधिकांश लोग तो भेड़ों के झुंड के समान हैं। अगर आगे की एक भेड़ गड़दे में गिरती है, तो पीछे की सब भेड़ें उसमें गिर जाती हैं। इसी तरह समाज का मुखिया जब कोई बात कर बैठता है, तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं और यह नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं। जब मनुष्य को ये सांसारिक बातें निस्सार प्रतीत होने लगती हैं, तब वह सोचता है कि वह वृत्ति के हाथों का खिलौना बन चुका है। वह चाहता है कि खिलौना बन कर वह उसके बहकावे में न आए। यह तो गुलामी है। कोई अगर दो—चार मीठी बातें सुनाए, तो मनुष्य मुस्कुराने लगता है, और जब कोई

कड़वी बात कह दे तो उसके आंसू निकल आते हैं। वह तो रोटी के एक टुकड़े का, एक सांस भर हवा का दास है। वह तो कपड़े—लत्ते का, स्वदेश प्रेमी कहलाने का, अपने देश और अपने नाम—यश का गुलाम है। इस तरह से वह चारों ओर से गुलामी के बंधनों में फँसा हुआ है और उसका यथार्थ व्यक्तित्व, उसका सच्चा मनुष्यत्व इन सब बंधनों के कारण उसके अंदर गङ्गा हुआ है। जिसे तुम मनुष्य कहते हो, वह तो गुलाम है। जब मनुष्य को अपनी इस सारी गुलामी का अनुभव होता है, तब उसके मन में स्वतंत्र होने की अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है। यदि किसी मनुष्य के सिर पर एक दहकता हुआ अंगार रख दिया जाए तो वह मनुष्य उसे दूर फँकने के लिए कैसा छटपटाएगा। ठीक उसी तरह वह मनुष्य, जिसने सचमुच यह समझ लिया है कि वह अपनी वृत्ति का गुलाम है, वह स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटाता है।

वृत्ति से स्वतंत्रता पाने की इच्छा यानी मुमुक्षत्व आवश्यक है। इसके बाद आता है, नित्यानित्य विवेक। सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, क्या चिंतन है और क्या नश्वर, यह भेद जानना ही नित्यानित्य विवेक है। केवल परमेश्वर ही शाश्वत है और बाकी सब कुछ नश्वर।

l a wZi H. k keavi uh vke vks vi uh vke eal a wZi H. k kdk n' k d j us okys dHh
fdl h l s?k k ughadjrA bZkki fu"kn

साभार: दैनिक हिंदुस्तान



प्रेम का स्वरूप

मोनिका गुप्ता, स्टेनो ग्रेड-1

प्यार तपस्या है, पूजा है, इबादत है
प्यार एक आत्मविश्वास है
प्यार आत्मा की शक्ति का नाम है
प्यार पाने का नहीं खोने का नाम है
प्यार एक त्याग है
प्यार बलिदान, कुर्बानी का नाम है
प्यार शक्ति का स्वरूप है
प्यार उगते सूरज की पहली किरण है
प्यार के बिना जीवन के सब रस अधूरे हैं

प्यार किसी परिचय का मोहताज नहीं,
प्यार अपने आप में संपूर्ण परिचय है
प्यार पत्ती पर गिरी ओस की बूंद के समान है
प्यार खिलता हुआ फूल है, शबनम है
प्यार अमृत है, अमर है, अमिट है, क्षमादान है
प्यार तो अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं
प्यार आत्मा है, विश्वास है, प्यार दिल का सुकून है
और क्या कहें हम दोस्तों,
प्यार तो जिंदगी है.....जिंदगी है.....जिंदगी
है.....जिंदगी है।

प्राकृतिक सौंदर्य में तीर्थाटन एवं पर्यटन

कैलाश सी. बुड़ाकोटी, पर्यवेक्षक (प्रशासन)



उत्तराखण्ड युगों से देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध रहा है। अनेकों साधु—संतों एवं ऋषि—मुनियों ने इस पावन भूमि के शांत वातावरण को अपनी तपोस्थली के रूप में चुना है। देवी—देवताओं द्वारा यहाँ समय—समय पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में अपने अस्तित्व का अहसास कराकर उत्तराखण्ड की देवभूमि की सार्थकता को प्रमाणित किया है।

इस देवभूमि के पौड़ी गढ़वाल जिले के मल्ला बदलपुर पट्टी में स्थित ताड़केश्वर एक रमणीक स्थल है और यहाँ पर भगवान शिव का ताड़केश्वर महादेव के नाम से एक प्राचीन मंदिर है। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ असवाल जाति का एक किसान दोपहर में काफी देर तक अपने खेतों में हल चला रहा था, तेज धूप होने के



कारण बैल बहुत थक चुके थे। भूख एवं प्यास से बैलों का बुरा हाल था किंतु किसान बैलों की थकावट एवं भूख—प्यास को अनदेखा कर हल चलाए जा रहा था। कहते हैं कि बैलों की इस दशा को देखकर कोई शक्ति मानव रूप में प्रकट हुई तथा किसान से आग्रह किया कि बैल भूखे—प्यासे हैं, अतः हल चलाना बंद कर दें। किसान ने इसे अपनी तौहीन समझा। वह उस मानव रूपी शक्ति को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भागते—भागते वह मानव रूपी शक्ति सांदण के पत्ते में पैर पड़ने से फिसल गयी। फिसलते ही वह मानव रूपी शक्ति अपने असली रूप में प्रकट हो गयी जो कि स्वयं देवाधिदेव शिव थे। जहाँ भगवान शिव फिसले थे वहीं पर एक मंदिर का निर्माण किया गया जो ताड़केश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से मंदिर परिसर में असवाल

जाति के लोगों की आवाजाही एवं सांदण के पत्ते को ले जाने की मनाही है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ शिव दर्शन के लिए आते हैं।

मई—जून में देव—पूजन के अवसर पर यहाँ दूर—दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दिन की बड़ी महत्ता है। इस दिन यहाँ शिव दर्शन से मनोवांछित इच्छा का पूर्ति होती है। यहाँ शिव लिंग पर श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दूध, झालसैण नामक स्थान में निकलता है जो कि तीन कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित घाटी में है। मंदिर के ठीक नीचे एक जलकुण्ड है। इस कुण्ड का पानी देखने में बहुत गदैला (गंदा) है किंतु इसमें स्नान करने से कई बीमारियाँ, खासकर चर्म संबंधी, ठीक हो जाती हैं। देवपूजन के अवसर के अलावा शिवरात्रि के पावन पर्व पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ताड़केश्वर महादेव को प्राचीन सिद्ध पीठ भी माना जाता है।


ताड़केश्वर मंदिर पहाड़ी में स्थित एक मनोरम घाटी में है। यह स्थान चारों ओर से देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। यह एक बहुत ही सुंदर घाटी है, जिसमें भगवान सूर्य के दर्शन काफी कम समय के लिए होते हैं। यह स्थान देवदार के वृक्षों की महक से आच्छादित रहता है। घाटी से बाहर निकलते ही देवदार के पेड़ कहीं भी नजर नहीं आते। लोक कहावत के अनुसार देवदार के वृक्ष केदारनाथ से लाकर यहाँ लगाये गये थे और बदले में यहाँ से मालू की बेल केदारनाथ में लगाई गई थी।

ताड़केश्वर पहुंचने के लिए कोटद्वार से चखुलियाखाल तक बस द्वारा, तथा वहाँ से लगभग पाँच कि.मी. तक जीप द्वारा यात्रा तय की जाती है। फिर लगभग एक कि.मी. पैदल यात्रा की जाती है। कोटद्वार से सीधे

टैक्सी बुक करके भी यहाँ की यात्रा की जा सकती है। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ होटल की व्यवस्था नहीं है, हालांकि मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला का निर्माण किया गया है।

वापसी में इसी मार्ग पर लगभग 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित लैंसडाउन एक मनोरम पर्यटन स्थल है। लैंसडाउन की प्राकृतिक सुंदरता एवं परिदृश्य को देखकर लॉर्ड लैंसडाउन ने इसे छावनी के रूप में सन 1887 में बसाया था। समुद्रतल से 1706 मीटर की ऊँचाई पर यह एक बहुत ही मनोहारी एवं सुंदर हिल स्टेशन है। यहाँ पर भारतीय सेना का गढ़वाल राईफल्स रेजीमेंटल सेंटर, टिपनटॉप तथा कालेश्वर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं।

यहाँ के मौसम में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है, अचानक काले बादल घिर आते हैं और घनघोर बारिश हो जाती है। सालभर यहाँ ठंडा मौसम रहता है। लैंसडाउन के नाम से प्रसिद्ध होने से पहले, अधिकांश समय घने काले बादलों से घिरी हुई चोटी होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में कालोंडांडा के नाम से जाना जाता था। स्थानीय निवासी इसको अभी भी दोनों नामों से पुकारते हैं।



लैंसडाउन छावनी क्षेत्र होने के कारण यहाँ जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती। अतः यहाँ पर निजी होटल नहीं हैं, हालांकि गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक होटल अवश्य है। ग्रीष्म ऋतु में जब बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से उनके लिए कमरे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो पर्यटक लैंसडाउन के एक ओर डेरियाखाल एवं दूसरी ओर जयहरीखाल, जो बहुत ही रमणीक स्थल हैं, में उपलब्ध होटलों एवं रिसोर्ट्स में ठहरते हैं। लैंसडाउन का यह क्षेत्र सुंदर एवं शांत होने के कारण शहरों की आपाधापी एवं शोरगुल से दूर छुट्टियां बिताने के लिए प्रकृति की गोद में एक अति उत्तम स्थल है।

परिश्रम का महत्व

उषा शर्मा, पर्यवेक्षक (वित्त)



पशु पक्षी गर मेहनत से, अपनी राह बना लेता है,
फिर क्या कमी है इंसां में, जो स्वार्थ को चाह बना लेता है।
यदि मेहनत को पूजा समझोगे, तब होगा आनंद कमाने में,
निःस्वार्थ भाव से काम करो, तब खुशियां बरसेंगी आँगन में।

आत्म मंथन कर अपना, यह निष्कर्ष निकाला है,
धिकार है जीवन पर जो, छीने औरों का निवाला है।
क्यों किस्मत को कोसते हम, अरु यह नहीं सोचते हैं,
ईश्वर ने बनाया सबको समान, क्यों ऊँचा-नीचा बोलते हैं।

जब खाने को हमें मुँह में लाना पड़ता है हाथ,
फिर क्यों मेहनत से कतराते, अरु नहीं निभाते हैं साथ।
काम करने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है,
मेहनत करने वाले का पैसा कभी खोटा नहीं होता है।

जीने की राह - बंद आँखों ने दिखाई रोशनी

जन्म से उसे आँखों की दुर्लभ बीमारी थी। जब चार साल का हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी लाइलाज है। जब वह 13 साल का था, तो आँखों की रोशनी पूरी तरह चली गयी। इस सदमे से उबर पाता कि माँ की मौत हो गयी। वह जान चुका था कि अब कभी इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाएगा। लेकिन उसने अपनी नेत्रहीनता को कमजोरी नहीं बनने दिया। यकीनन राह बहुत कठिन थी, पर वह हारा नहीं। स्कूल के दिनों में वह कुश्ती चैंपियन था। उसे बास्केट बॉल खेलने का भी शौक था। पर कमजोर होती आँखों के साथ उसके सपने भी धुंधले हो रहे थे। फिर वह नेत्रहीन बच्चों के संग पढ़ने लगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज गया। कॉलेज से बाहर आते ही जिंदगी की बेरहम हकीकत से रुबरु हुआ। उसे पता चला कि कथित सामान्य लोगों की दुनिया में एक नेत्रहीन युवक के लिए कोई जगह नहीं होती। फिर एक दिन उसने दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत चोटी पर चढ़ने का फैसला किया और आखिरकार बन गया एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन व्यक्ति। आज वह मशहूर लेखक हैं और बेहतरीन वक्ता भी। उनका नाम है , fjd Qgues ja

अमेरिका के नयू जर्सी शहर में जन्मे एरिक व्हेनमेयर के लिए शुरू से ही जीवन का मतलब था दुश्वारियां। जब वह दो-तीन साल के हुए तो माता-पिता ने महसूस किया कि उनकी आँखों में कुछ दिक्कत है। बचपन में कई बार उन्हें चीजों को देखने या पकड़ने में दिक्कत होती थी। शुरुआत में तो डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं समझ पाए, पर जब वह चार साल के हुए, तो पता चला कि उन्हें आँखों की लाइलाज बीमारी जेवुनाइल रेटिनोशेसिस है। माता-पिता उन्हें बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास ले गये। किसी का इलाज काम न



आया। डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया। समय के साथ-साथ एरिक की आँखों की रोशनी कम होती गयी। एरिक का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं रहा। माता-पिता उन्हें धूल और धूप से बचाने की कोशिश करते रहे। इसलिए खेलने-कूदने का बहुत कम मौका मिला। माता-पिता जानते थे कि एक दिन एरिक आँखों की रोशनी पूरी तरह गंवा देंगे। पर मन में कहीं उम्मीद दबी थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ।

स्कूल के दिनों में एरिक ने कुश्ती खेलना शुरू किया और चैंपियन बन गये। उन्हें बास्केट बॉल का बहुत शौक था। पर धूमिल रोशनी के कारण अक्सर गेंद उनके हाथ से फिसल जाती थी। कई बार साथ के बच्चे उनका मजाक उड़ाते, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे। उस समय उनकी उम्र 13 साल थी। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। धुंधली दिखने वाली चीजें भी पूरी तरह ओझल हो चुकी थीं। वह रोशनी खो चुके थे। माता-पिता तो जाने कब से इस आशंका को दिल में दबाये जी रहे थे। वे जानते थे कि एक दिन ऐसा होने वाला है। पर उन्होंने बेटे को बिखरने नहीं दिया। एरिक संभलने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी माँ की मौत हो गयी। यह उनके लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका था। एरिक ने कहा, अब सब खत्म हो गया है पर पिता ने समझाया कि जब एक रास्ता बंद होता है तो अनेक रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अब वे एरिक की माँ और पिता, दोनों बन गये थे। घर से लेकर स्कूल कैंपस तक एरिक के साथ रहते, हर कदम पर उनकी मदद करते। धीरे-धीरे एरिक ने बिना रोशनी के जीना सीख लिया।

उन्हें नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में दाखिल कराया गया। इस दौरान उन्हें पढ़ाई के साथ रेसिंग, तैराकी, पहाड़ों की चढ़ाई और स्कीइंग की ट्रेनिंग भी दी गयी। पर उन्हें सबसे ज्यादा मजा पहाड़ों की चढ़ाई में आता था। स्कूल खत्म करने के बाद एरिक कॉलेज गये। उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी करने का फैसला किया। वाकई काफी कठिन दौर था वह। कई जगह आवेदन किया, पर कोई एसे युवक को नौकरी पर नहीं रखना चाहता था जिसे दिखाई न देता हो। एरिक ने एक होटल में बर्तन धोने का काम पाने के लिए आवेदन किया। होटल प्रबंधन ने उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया, मगर यह पता लगते ही कि वह देख नहीं सकते, आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया। एरिक कहते हैं, ऐसा लगा मानो सारे रास्ते बंद हो गये हैं। कोई मुझे सुनना नहीं चाहता था, कोई भी मुझे मौका नहीं देना चाहता था। जहाँ जाता, मेरी नेत्रहीनता सामने खड़ी हो जाती और मेरा रास्ता रुक जाता।

पर एरिक निराश नहीं हुए। उन्होंने टीचिंग की विशेष ट्रेनिंग ली और विकलांग बच्चों का पढ़ाने लगे। वह बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गये। एरिक शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों की मदद करते, उन्हें हौसला देते। अब उनके मन में कुछ बड़ा और नया करने की ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने तय किया कि वह दुनिया की सबसे ऊँची पर्वत चोटी एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। अमेरिका

के ज्यादा माउंट क्लाइंबिंग विशेषज्ञों ने दावा किया कि एरिक अपनी नेत्रहीनता के चलते ऐसा नहीं कर पाएंगे। एरिक के शुभचिंतकों ने भी उन्हें इतना बड़ा जोखिम न लेने की सलाह दी। पर एरिक नहीं माने। उन्होंने विशेष ट्रेनिंग ली और चल पड़े पहाड़ की चोटी नापने।

एरिक ने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। जैसे—जैसे सफर बढ़ा, बर्फीली हवाओं और बेरहम मौसम का कहर गहराता गया। यात्रा के दौरान एरिक को सबसे ज्यादा तकलीफ आँखों में हो रही थी। कई बार लगा कि आँखों में कांटें चुभ रहे हों, पर एरिक रुके नहीं और 25 मई 2001 को एक नया वर्ल्ड रिकार्ड बन गया। एरिक एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति बन गये। इसके बाद सितंबर 2002 में उन्होंने दुनिया के सात महाद्वीपों की सात सबसे ऊँची पर्वत चोटियों पर चढ़ने का रिकार्ड भी बनाया। अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने उन पर आवरण कथा छापी। एरिक ने कई प्रेरक किताबें लिखी हैं। उनकी किताब टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड काफी मशहूर हुई है।

एरिक एक बेहतरीन वक्ता भी हैं। लोग उनके प्रेरक भाषण सुनने को बेताब रहते हैं। एरिक को जीवन से कोई शिकायत नहीं है। वह कहते हैं, अगर मेरी आँखों में रोशनी होती, तो यकीनन मेरा जीवन ज्यादा सहज होता, पर शायद तब मुझे वह संतोष नहीं होता, जो आज मैं महसूस करता हूँ।

साभार: दैनिक हिंदुस्तान

çfl) dfo gfjoakjk cPpu th us Bhd gh dgk g\$
 ygjka l s Mjdj uke dk i kj ug lagkrh fgfer djus okyka dh dHh gj ug lagkrh
 ulgh plVht c nkuk ydj p<rh g\$ p<rh nhkjka ij lkckj fQl yrh g\$
 eu dk fo' okl jxkaeal kgl Hjrk g\$ p<ej fxju lk fxjdj p<u lk uk v[kj rk g\$
 egur ml dh cdkj gj ckj ug lagkrh fgfer djus okyka dh dHh gj ug lagkrh

भारत-निर्माण

बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक



नेक इरादे के साथ, मोदी जी ने किया था ऐलान।

गोद लें गाँव हर सांसद, करें नव-भारत का निर्माण ॥

कइयों ने लिए गाँव गोद, कइयों ने कर दी आनाकनी।

प्रजातंत्र में सब संभव है, कर देते हैं अपनी मनमानी । १ ।

क्रिकेट के भगवान ने एक दिन, मन में यह बात ठानी।

गाँव इक ऐसा चमकाऊंगा, कि इसका हो न कोई सानी ॥

यही सब सोच उन्होंने, पट्टमराजू कंद्रिगा को लिया गोद।

शत-प्रतिशत प्रयास करूंगा, ताकि रहे न कभी कोई क्षोभ । २ ।

किसी ने पूछा मराठी आप, क्यों आंध्र के गाँव को अपनाया।

पट्टमराजू भी है भारत में, मैंने सब भारतीयों का प्यार है पाया।

यह गाँव है इक ऐसा जहाँ, बसती है ओबीसी/एसटी आबादी।

तुष्टिकरण के इस दौर में भी, जो न कोई सुख-सुविधा पाती । ३ ।

जन-सुविधाओं के लिए जहाँ, तरसती रहती थी जनता आम।

चार माह की अवधि में ही सचिन ने, करवा दिए पूरे सब काम।

चमचमाती सड़कें मिलती हैं, अरु मिलती है रोशनी भरी शाम।

चौबीसों घंटे बिजली, पानी और शौचालयों का है इंतजाम । ४ ।

यह सब पूरा करने में, लगे हैं मात्र पौने छह करोड़।

अन्य सोचें पैसा कम है, क्योंकि लगा है स्व-कल्याण का कोढ़।

कहते हैं कर्मों का नहीं, कामना का करो तुम त्याग।

तभी तुम अपने साथ-साथ, समाज का बदल सकते हो भाग्य । ५ ।

कर्म किए सचिन ने अरु, करवाए प्रशासन से।

तभी अल्पावधि में ही, छुटकारा पा सके कमियों के आसन से।

धन्य हैं क्रिकेट के भगवान, प्रेरणा आप से सब पाएं।

निःस्वार्थ भाव से कर्म करें, अरु भारत माँ का मान बढ़ाएं । ६ ।

भारत में आतंकवाद की समस्या: कारण और इसका समाधान

राजेश कुमार कर्ण, स्टेनो ग्रेड-II



हत्या, अपहरण, लूटपाट, आगजनी, बम विस्फोट के माध्यमों से दहशत फैलाने और अपनी मांगे मनवाने के लिए शासन को बाध्य करना आतंकवाद कहलाता है। एक समय था जब भारत संपूर्ण विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाता था। आज वही भारत पिछले लगभग 50 वर्षों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आतंकवादी रेल, रेलवे स्टेशनों, बसों, बाजारों, सैन्य शिविरों, संस्थानों तथा धार्मिक स्थलों में अत्याधुनिक हथियार, विस्फोटक, बारुदी सुरंग, कार अथवा मानव बम के माध्यम से कहर ढारहे हैं और भारत आज मानवीय संहार और आतंक का पर्याय बन गया है।

भारत में आतंकवाद मुख्यतः निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुआ है:-

Ikt k c ea [klyLrkumleqkh vkradokn% 1982 में कुछ सिरफिरे सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग की। इसे पाकिस्तान से समर्थन और साभार : हिन्दुस्तान

प्रोत्साहन मिला और पूरा पंजाब जल उठा। 1984 में आपरेशन ब्लू स्टार एवं पुलिस और सरकार द्वारा अपनाए गए सख्त उपायों के कारण अंततः 1992-1993 के दौरान पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया, किंतु तब तक लगभग 25000 लोग मारे जा चुके थे। बब्बर खालसा अभी भी खालिस्तान की मांग कर रहा है।

t Eewd'elj eaikfdLrkui k; kft r vkradokn% स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में रखना चाहता था। इसी चाह में कश्मीर में पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने हत्या, अपहरण, लूट-खसौट का कहर ढारिया है और लाखों हिंदू



कश्मीर से विस्थापित होकर शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। कारगिल युद्ध को मिलाकर अब तक हुए चार युद्धों में कश्मीर में 70000 बेकसूर नागरिक और 20000 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और आगे भगवान ही मालिक है क्योंकि संयुक्त राष्ट्रसंघ में गुटबंदियां हैं तथा शक्तिशाली राष्ट्र अपने स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं।

uDI yh vkradokn% 60 के दशक में नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल में उधम मचाया। बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश होते हुए नक्सली आतंकवाद आज 13 राज्यों तक फैल गया है। आदिवासी, भूमिहीन किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं नेपाल और चीन के माओवादियों की सहायता से वे पुलिस, सेना, प्रशासन के अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और नागरिकों का अपहरण / हत्या करते हैं। आज ये सर्वाधिक सक्रिय एवं खतरनाक हैं।

i vklkj jk; ka ea vkradokn% 1980 से ही पूर्वोत्तर राज्यों ने पहले विदेशी घुसपैठ रोकने तथा बांग्लादेशियों को निकालने के लिए

आंदोलन शुरू किया किंतु जब सरकार ने सक्रियता नहीं दिखलाई तब कुछ आतंकवादी संगठनों ने गोरखालैंड एवं बोडोलैंड की मांग के समर्थन में हत्या, लूटमार और अपहरण शुरू कर दिए जिसमें अब तक लगभग 6000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं म्यामार के नागा बहुल क्षेत्र को मिलाकर नगालिम (ग्रेटर नागालैंड) बनाए जाने की मांग के समर्थन में भी उग्रवादियों द्वारा आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं।

इसके अलावा बम्बई, दिल्ली, अयोध्या, गुजरात, बंगलौर में भी दिल दहला देने वाली आतंकवादी घटनाएं

हुई हैं। 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जे. आर. जयवर्धने के अनुरोध पर भारत—श्रीलंका संधि की शर्तों के अंतर्गत भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने लिहे उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय शांति रक्षा सेना श्रीलंका भेजी थी। इससे खिन्न होकर लिहे के उग्रवादियों ने 1991 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान श्रीपेरम्बदूर में 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या कर दी।

vkradokn dk l ekelu

उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत का संपूर्ण हिस्सा किसी न किसी समय में आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत में आतंकवाद का कारण धार्मिक, भौगोलिक, जाति, इतिहास के परिपेक्ष्य में बदलता रहा है जो निम्न प्रकार हैः—

vkfFk d kj. % 1947 में स्वतंत्रता के बाद देश का असंतुलित विकास हुआ। विकास का लाभ कुछ लोगों को ही मिला। अमीर और ज्यादा अमीर होते गए और गरीब और भी गरीब। बेरोजगारी एवं कुपोषण समयानुसार घटने के बजाए बढ़ते गए, फलस्वरूप लोगों में हताशा बढ़ी और उन्होंने हथियार उठा लिए, जैसा कि नक्सलियों ने किया। आदिवासियों की जंगल—जमीन की लड़ाई, भूमिहीन किसानों को जोतने के लिए खेत की जरूरत और बेरोजगार नौजवानों में रोजगार की ललक नक्सली आतंकवाद के पनपने के कारण हैं।

jkt ulfrd dkj. % गरीबों, जनजातियों/आदिवासियों का शोषण और जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव ने शासन के प्रति अविश्वास बढ़ाया है और इसी कुशासन के कारण आतंकवाद पनप रहा है। नक्सली आतंकवाद प्रायः उन क्षेत्रों में है जहां प्रभावशाली शासन नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में बंगलादेशी घुसपैठियों को रोक पाने में सरकार की असफलता एवं राजनीतिक और आर्थिक तिरस्कार से उत्पन्न अस्थिर आंतरिक असुरक्षा के माहौल के कारण आतंकवाद बढ़ा है। पुलिस/सुरक्षाबलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण एक जेहादी का बांगलादेश से भारत में घुसपैठ मात्र 500 रुपए में हो जाता है।

ekfeZl dkj. % धार्मिक कट्टरता के कारण भी आतंकवाद पनपता है जैसा कि पंजाब एवं कश्मीर में

हुआ। पंजाब में कुछ सिख स्वतंत्र खालिस्तान बनाना चाहते थे तो कश्मीर में कुछ मुस्लिम आतंकी संगठन भारत से स्वतंत्र होना चाहते थे और कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आतंक फैलाए।

vkradokn dk l ekelu

आज यह हमारी राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, अर्थतंत्र एवं विकास के लिए खतरा बन गया है, इसका समाधान करना ही होगा। इसके समाधान के लिए कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं:

- यद्यपि भारत में आतंकवाद रोकने के लिए अनलॉकफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967; नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980; टाडा, पोटा बनाए गए किंतु इन कानूनों का कतिपय मामलों में सत्तापक्ष द्वारा दुरुपयोग किया गया। इसके तहत आतंकवादी कम, राजनीतिक विरोधी ज्यादा पकड़े गए। उपयुक्त प्रशासनिक एवं अन्य तरीके अपनाकर इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, न कि समाप्त। साधारण कानूनों से काम नहीं चलेगा।
- खुफिया एवं पुलिस तंत्र को समर्थ एवं चाक—चौबंद बनाना होगा। सुरक्षा बलों की कमी को दूर करना होगा एवं उन्हें आधुनिक हथियार एवं तकनीक से लैस करना होगा। सही और समय पर खुफिया सूचना कारगर होती है। इसे दूरसंचार/इंटरनेट का मॉनीटरिंग कर प्राप्त किया जा सकता है।
- आज आतंक का वैश्वीकरण हो गया है, इसलिए शांतिवादियों की अपेक्षा आतंकवादी ज्यादा व्यवस्थित, संगठित और अभिप्रेरित हो गए हैं। इसलिए आतंकवाद विरोधी समूह को आपसी अविश्वास एवं जासूसी को त्यागकर एक ईमानदार और समन्वित रणनीति अपनानी होगी।
- आतंकवाद रोकने के लिए जनता को विश्वास में लिया जाए और उन्हें भागीदार बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि भूमि सुधार, गरीबी, बेरोजगारी जैसे विकास के पहलुओं पर पूरी

संवेदना से ध्यान दिया जाए और भ्रष्ट नेताओं—नौकरशाहों—अपराधियों के गठजोड़ को तोड़कर सुशासन लाया जाए। स्थानीय जनसमुदाय कानून प्रवर्तकों को मदद करेगा तभी आतंकवाद की समाप्ति संभव है।

- राजनीतिक नेतृत्व को भी शत—प्रतिशत निष्पक्ष, साहसी, दूरदर्शी एवं सक्रिय होना होगा। 4 जून 2015 को मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने 18 जवानों की हत्या कर दी, इसके प्रत्युत्तर में केन्द्रीय नेतृत्व की सहमति से भारतीय सेना ने 9 जून 2015 को स्यांमार की सीमा में घुसकर छिपे आतंकवादियों को मार डाला। इससे अन्य क्षेत्रों में सक्रिय आतंकियों में दहशत फैलेगी, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ेगा और धीरे—धीरे आतंकवाद खत्म होगा।
- आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में बेकसूरों को परेशान करना एवं कुछ लोगों के घृणित काम के लिए पूरे समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करना ठीक नहीं है। यह आतंकवाद बढ़ाने में खाद—पानी का काम करता है। असल में, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। दाऊद, सलेम जैसे मुस्लिम आतंकवादियों के साथ—साथ उल्फा, नक्सली, लिट्टे आदि अन्य धर्मावलम्बी भी आतंकवादी हैं। कट्टर लोग अपना विचार थोपते हैं और जबरन विचार थोपने से अशान्ति फैलती है। इसलिए कट्टरता छोड़ उदारवादी, सही, निष्पक्ष एवं सन्तुलित नजरिया अपनाना जरूरी है। जनतंत्र में निष्पक्ष तथा भेदभावरहित व्यवहार अपनाकर ही आतंक खत्म किया जा सकता है। नक्सलियों की समस्या को खत्म करने हेतु उन्हें मारना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्यादा जरूरी यह है कि ग्रामीण स्तर पर जो उनकी व्यवस्था काम कर रही है, उसको तहस—नहस किया जाए।
- आतंकी विक्षिप्त एवं सनकी होते हैं तथा किसी नीति/नियम/सत्ता का अंध—अनुकरण करने के आदी होते हैं। आतंकी समूहों को भी बातचीत

के जरिए, उनकी पुनर्वास योजनाएं बनाकर —उनके लिए बेहतर परामर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा तथा रोजगार के अवसर जुटाकर उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में वापस लाने का सार्थक प्रयास कर आतंकवाद से निपटा जा सकता है। वास्तव में, शांति के लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया तो शांति—वार्ता से ही शुरू होती है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने नागालैंड के विद्रोहियों के संगठन एनएससीएन (आईएम) के साथ शांति समझौता किया है। यह उत्तर—पूर्वी राज्यों में स्थायी शांति की दिशा में भीत का पथर साबित होगा एवं इससे पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की गंगा बहेगी।

- असामान्य और अनियमित बैंकिंग लेन देने को विशेष कार्यप्रणाली द्वारा मॉनीटर करके आतंकवादियों तक इसकी पहुंच को रोकने से उनके नापाक इरादों पर अंकुश लगेगा।
- बंदी आतंकवादियों को शीघ्र और कड़े न्यायिक दंड देकर एवं नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर भी आतंकवादियों की घुसपैठ/गतिविधि को रोका जा सकता है।

कुल मिलाकर, साफ—सुथरा और कुशल कार्यशील जनतंत्र, सुशासन, कारगर पुलिस/खुफिया तंत्र, आर्थिक विकास आतंकवाद के अवरोधक हैं। इस पर बल देना चाहिए। यह केवल कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है इसलिए सरकार के साथ—साथ आम जनता को संयम, समझदारी, आपसी भाइचारे और अपनी हिफाजत के इंतजाम अपनी जीवन शैली में शामिल करने चाहिए। चूंकि आतंकवाद का आज वैश्वीकरण हो गया है, इसलिए विश्व के बड़े समाजों और धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और बाकी सबको इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। लखवी की रिहाई के मुद्दे को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया किंतु चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में वीटो लगाकर एक तरह से आतंकवाद का ही साथ दिया। अब समय आ गया है कि हम आतंकवाद जैसी जघन्य बुराई को बुराई कहने से डरें नहीं।

सिविकम: अद्भुत सफलता वाला राज्य



मई 1975 में भारत का 22वाँ राज्य बनने के बाद से ही सिविकम असंभव को संभव बनाने में लगा हुआ है। साक्षरता, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता तथा जैविक (आर्गनिक) खेती के मामलों में इसका प्रभावशाली रिकॉर्ड न केवल भारत में, बल्कि शायद पूरे एशिया में लगभग अद्वितीय है।

मात्र 6,10,000 की आबादी वाले भारत के सबसे छोटे राज्य सिविकम की प्रति व्यक्ति आय 2004–05 से ही दहाई के अंकों में है। सिविकम में गरीबी की दर, 2004–05 में 30.9 प्रतिशत (1.7 लाख) से 2011–12 में मात्र 8.2 प्रतिशत (51 हजार) रह गयी थी। साक्षरता की दर में एक दशक में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001 में 68.8 प्रतिशत से यह दर 2011 में 82.2 प्रतिशत हो गई। 2011 में सिविकम की ग्रामीण साक्षरता दर 79.8 प्रतिशत थी, जो 68.9 प्रतिशत की राष्ट्रीय दर से अधिक है। सिविकम ने खुद को देश का दूसरा शत-प्रतिशत साक्षरता वाला राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

सिविकम ने जैविक खेती के मिशन को 2003 में अपनाया था, तथा अब यह पूर्णतः जैविक खेती वाला राज्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने फरवरी 2014 में मानव विकास रिपोर्ट सूचकांकों के लिए विश्व में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सिविकम की प्रशंसा की। एक दशक से कम के समय में 15 प्रतिशत की विकास दर, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है, को आश्चर्यजनक बताते हुए तथा सिविकम की उपलब्धियों को अभूतपूर्व बताते हुए भारत में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि सुश्री लीसे ग्रांड ने कहा कि ऐसी कोई दूसरी सरकार नहीं है, जिसने समान परिस्थितियों में ऐसी सफलता हासिल की हो।

एक ऐसे देश में, जहाँ अभी भी बड़ी संख्या में लोग खुले में शौच करते हैं, सिविकम में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है, तथा 08 दिसम्बर 2008 को सिविकम को 100 प्रतिशत स्वच्छता कवरेज वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

साभार: दैनिक टाईम्स ऑफ इंडिया से अनूदित

राष्ट्र निर्माण हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लिंग संवेदी कार्यस्थल का सूजन

कार्यस्थल पर काम के बेहतर माहौल की अपनी प्रतिबद्धता के एक अंश के तौर पर वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 05 मार्च 2015 को राष्ट्र निर्माण हेतु महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में: लिंग संवेदी कार्यस्थल का सृजन विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त निमांकित वक्ता आमंत्रित किये गये थे।

1. डॉ. मार्था फेरल, निदेशक, प्रिया इंटरनेशनल एकेडमी
 2. डॉ. एना पांडा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय
 3. सुश्री एलिजाबेथ खुमलांबम, कोर्डिनेटर, नारी शक्ति मंच, सोसायटी फॉर लेबर एंड डेवलपमेंट।

सर्वप्रथम, संस्थान की यौन उत्पीड़न समिति की संयोजक डॉ. एलीना सामंतराय ने माननीय वक्ताओं का स्वागत करते हुए सभागार में उपस्थित जन-समूह से उनका परिचय कराया। चर्चा का शुभारंभ करते हुए डॉ. मार्था फेरल ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों, तथा डॉ. एना पांडा

डॉ. मार्था फेरल का 13 मई 2015 को काबुल, अफगानिस्तान में हुए एक बम धमाके में आक्रिमिक निधन हो गया। उनके सम्मान में कछ पंवितायां निम्न प्रकार हैं:

संस्थान की कार्यशाला में एक दिन, दिखी शख्सियत एक महान्।

धेय जिसने बना रखा था, बच्चों एवं महिलाओं का कल्याण।

हंसमुख चेहरा उनका अरु आत्मविश्वास भरा अंदाज,

ये हथियार थे जब जातीं, करने लैंगिक समानता के काज |1|

समाज कल्याण के प्रति समर्पण की भावना से, गर्यां अफगानिस्तान वह महिलाओं को सशक्त बनाने।

पर दनिया में एक ही बात सच है कि.

कब कहाँ किस घड़ी मौत आ जाये है

• १०५४४, वडा, पांचपोली, अहमदाबाद-३८००१२।

प्रेनु शारा प्रदान कर स्पृग्नाय आत्मा का उनका,
अस्ति तंस्त्वे तत्के अतोऽसंवाद परिवार के तत्त्व।

अरु बधाय उनके शाक-सतस पारवार का ढाँचा।
ऐसीका सामाजिक और नोटूनांशिक सामाजिक सामाजिक

लागक समानता आर लाकतात्रिक शासन क सपन, तो दें राहे अैसा जात रहे यह यह उपराहा।

ਪੂਰ੍ਹ ਹਾ ਉਨਕ ਆਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹ ਯਹ ਸਾਰਾ ਜਨਮਾਨਸ |3|



ने विशाखा गाइडलाईन्स के प्रावधानों एवं उनके उल्लंघनों के बारे में विस्तार से बताया। सुश्री एलिजाबेथ खुमलांबम ने खासकर असंगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया। महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों एवं उनके समाधान हेतु सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा किए जा रहे टाल-मटोल को बड़े ही रोचक ढंग से पेश करते हुए वक्ताओं ने चर्चा को बहुत सफल बनाया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन पेश करते हुए संस्थान की योनि उत्पीड़न समिति की अध्यक्ष डॉ. हेलन आर. सेकर द्वारा सभी कर्मचारियों से लैंगिक समानता को महत्व देते हुए काम के माहौल को बेहतर बनाने का आग्रह किया गया।

बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

“कोटर और कुटीर” : एक सोचक बोध-कथा

dkVj

दोपहरी का समय था। सूर्य अग्नि-शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे। मानो किसी और भयंकर कांड की आशंका से साँस-सी साधे खड़े हैं। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक-पुत्र ने कहा, ‘पिताजी।’

बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली की वर्तमान रुखेपन की तरह ही वह स्वर कुछ नीरस था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, ‘क्या है बेटा?’

‘है और क्या? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं।’

‘बेटा, अधीर मत हो। समय सदा एक-सा नहीं रहता।’

‘यही तो मैं भी कहता हूँ— समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए थीं। आप अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बानरी अपने मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। घनश्याम की बाट आप जोहते रहिए। अब मुझसे यह नहीं सध सकता।’

‘घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। यही हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई और न कोई दूसरा अनर्थ।’

‘आप कहते हैं, कोई अनर्थ नहीं हुआ, मैं कहता हूँ प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा? जहाँ से भी होगा, मैं जल ग्रहण करूँगा ही।’

चातक सिहरकर पंख फड़फड़ाने लगा। मानो उसने उन अश्रव्य वचनों और कानों के बीच कोलाहल की परिखा-सी खड़ी कर देनी चाही। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, ‘बेटा धैर्य रख। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद

हरी-भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं।’

लड़के ने कहा, ‘व्रत—पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिह्न तक नहीं है। गरमी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी—नाले सब सूख गए। फिर सूर्य के और निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है?’

बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है इसी पुण्य से उसे जीवनदान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी-सी सुधा सहन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है।

पिताजी, मैं थोड़ी-सी क्षुधा से नहीं डरता। परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा—ही—क्षुधा सहन करता रहूँ। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ। देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूँगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छुऊँगी। हमीं क्यों इस तरह कष्ट सहें? आप चाहे रखें या छोड़ें, मैं यह झांझट नहीं मानूँगा।

चातक ने देखा मामला बेढ़ब हुआ चाहता है। यह इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ, तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे?

चातक—पुत्र चुप। इसने अभी तक इस पर विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था, जिस प्रकार लाखों जीव—जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पिऊँगा परंतु वह प्रकार कैसा है, यह उसकी समझ में न आया था।

लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमजोरी यही है। वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, चुप कैसे रह गए? बताओ, तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे?

हिचकिचा कर अपनी बात स्वयं ही खंड-खंड करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से और दूसरे ग्रहण करते हैं, वहीं से मैं भी करूँगा।

पिता ने कहा— पड़ोस में वह पोखरी है। अनेक पशु-पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं। तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत?

चातक-पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। अह, उसमें कितनी गंदगी है! सूखे पत्ते, डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं। कीड़े बुलबुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं।

लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदा करने, कई बार सोचने पर भी वह समझ न सका था। एक बार एक आदमी को अंजुली से पानी पीते देख उसने पिता से कहा था, देखो पिताजी, ये कैसे घृणित जीव हैं! अवश्य ही उसने अपने ब्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पिऊँगा?

चातक बोला, बेटा, अभी तुम नासमझ हो! चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है और तृष्णि के साथ करोड़ों की तृष्णि। तुझसे अकेले तृष्ण होते कैसे बनेगा?

चातक-पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा।

चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से पाँच दिन की उड़ान पर हैं। तू नहीं मानता तो जा। परंतु तूने और कहीं एक भी बूँद ली, तो हमें मुंह न दिखाना।

चातक-पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया।

dyli

बुद्धन का कच्चा खपरैल का घर था। छोटी-छोटी दो कोठरियाँ, फिर उन्हें के अनुरूप आँगन और उसके आगे पौर। पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की बात सोच रहा था। जीर्ण-शीर्ण दीवारें

रोशनदान न होने की साध दरारों के दत्तक से पूरी करना चाहती थीं।

उस घर में और कुछ हो या न हो, आँगन के बीच, चातक-पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा।

नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी पचास के ऊपर थी। फिर भी अभी कुछ दिन पहले तक, उसके पैरों में जीवन-यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। एक दिन एकाएक पक्षाधात ने उसे अचल कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे-आधे शरीर का बँटवारा कर लिया हो। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का मात्र पुत्र, गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे।

गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या-समय तक लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। ऊपर आकाश में तारे छिटक आए थे। इधर-उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन। यद्यपि उसमें खाट के नीचे उतरने तक की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका मन न जाने कहाँ-कहाँ चौकड़ी भर रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पीने का पानी यथास्थान रख गया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था ही नहीं। कह गया था, शाम को मजरी के पैसों का आटा लेकर रोटी बनाऊंगा। परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल था। जो समय आनंद की स्निग्ध शीतल छाया में, शीतकाल के दिन की तरह, मालूम भी नहीं होने पाता और निकल जाता है, वही दुख की दाहक ज्वाला में निदाघ के दीर्घ दिनों की भाँति अकाट्य हो उठता है। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया। बार-बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में वह गोकुल के पद-शब्द सुनने का प्रयत्न कर रहा था।

बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किंवाड़ खुलने की आवाज सुनकर वह चौंका। वास्तव में वह गोकुल ही था। उसने कहा, "कौन, गोकुल! बेटा आज बड़ी देर लगाई।"

गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा।

बुद्धन ने घबड़ाकर पूछा, "क्या हुआ, बेटा क्या हुआ?"

"आज मजूरी नहीं मिली। अब कैसे चलेगा?"

"ऐं, मजूरी नहीं मिली। फिर इतनी देर क्यों हुई?"

प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया।

सबरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा—आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा—ओवरसियर साहब आज कुछ ज्यादा खफा हैं। इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है, काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इन्कार कर दिया—आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह, जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती, ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने—अपने घर लौट गए।

गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ, रूपए—पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया—इसे खोलकर देख लेना चाहिए कि नहीं। न देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा। कौतूहल—निवृति करने के लिए उसने उसे टटोला। टटोलने पर मालूम हुआ रूपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वहीं खड़ा—खड़ा सोचता रहा। इसका क्या करूँ? उसके पिता ने उसे अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात पर सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है? जब उसे मालूम होगा कि उसका बटुआ खो गया है तब उसकी क्या दशा होगी?

रूपए—पैसे का क्या मूल्य है, यह बात वह कुछ दिनों में ही अच्छी तरह जान गया था। उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके वह इस प्रकार सिहर उठा, मानो उसी का बटुआ खो गया हो।

उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उस पर कान में मोती—पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महतो बैठे थे। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। और किसी के पास इतने रूपए होना आसान भी नहीं है। यहाँ कुएँ पर गाड़ी रोकर उन्होंने पानी पिया होगा और आग जला कर तमाखू भरी होगी। एक जगह आग जलाई जाने के चिह्न मौजूद थे। उसने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा।

लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते—हाँफते पूछा, महतो, तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया?

महतो ने चौंककर गाड़ी में इधर—उधर देखा। साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। गोकुल से महतो की वह अवस्था देखी न गई। बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है?

एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व—सा हो गया। मानो बिजली के खटके ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। महतो ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखें भैया, इसे कहाँ पाया?

रास्ते में पड़ा था। इसमें कितने रूपए हैं?

महतो ने हिसाब लगाकर बताया, बयालीस रूपए, एक अठन्नी, एक घिसी हुई बेकाम दुअन्नी, दस या बारह आने पैसे, एक कागज, एक चाँदी का छल्ला....

गोकुल ने बटुआ खोल कर रूपए गिने। सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आँखों में आँसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिसे उसका लोभ न हो, भैया मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। मेरा रोम—रोम असीस रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। यह कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को दो रूपए देने चाहे। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना कर दिया है। मुफ्त के रूपए मैं न लूँगा।

महतो के सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। गोकुल थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उनकी आँखों से ओझल हो गया।

सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भाँति खड़ा-खड़ा बोला, बप्पा, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महतो से कुछ उधार माँग लाता, तो सब कुछ ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात उस समय आई ही नहीं।

बुद्धन की आँखों से झर-झर आँसू झरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा दिया। आनंदातिरेक ने उसका कंठावरोध कर दिया। उसे मालूम हुआ कि उसके क्षुधित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह दो-एक दिन की बात ही क्या, जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन-संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ से प्रतीत होने लगे। मानो एकाएक उसके सब दुख रोग दूर हो गए हैं। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है।

बड़ी देर में अपने को संभालकर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा, जो तू महतो से रूपए उधार नहीं लाया।

वह उधार माँगना भी एक तरह का माँगना ही होता। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया। दो-एक दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता, उसी तरह तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। मुझे मालूम हो गया, यह तू मुझसे भी अच्छी तरह जानता है। फिर भी कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति पड़े, अपनी नीयत न डुलाना।

ऊपर चातक—पुत्र सुन रहा था। उसकी आँखों से भी झर-झर आँसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पौ फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा। परंतु आज वह विपरीत दिशा को चला, उसी दिशा को, जिधर से वह आया था। उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी। फिर भी कोटर तक पहुंचने में उसे चार दिन की जगह सात दिन लग गए। दूसरे दिन से ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच-बीच में कई जगह रुककर ही वह वहाँ तक पहुंच सका।

साभार: पाठ्य पुस्तक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड



तीन बातें

संकलनकर्ता: अवनींद्र कुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-Ι

- तीन चीजों में मन लगाने से उन्नति होती है – ईश्वर, परिश्रम और विद्या
- तीन चीजें किसी का इंतजार नहीं करतीं – समय, मौत और ग्राहक
- तीन चीजों को कभी छोटा न समझें – बीमारी, कर्ज और शत्रु
- तीन चीजों को हमेशा वश में रखें – मन, काम और लोभ
- तीन चीजें निकलने पर वापिस नहीं आतीं – तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से
- तीन चीजें कमजोर बना देती हैं – बदचलनी, क्रोध और लालच
- तीन चीजें कोई नहीं चुरा सकता है – अकल, चरित्र और हुनर
- तीन व्यक्तियों का सदा सम्मान करें – माता, पिता और गुरु
- तीन चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए – कर्ज, मरज और फर्ज
- तीन बातें कभी न भूलें – उपकार, उपदेश और उदारता
- तीन चीजें सदा याद रखें – सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु
- तीन चीजें चरित्र को गिरा देती हैं – झूठ, निंदा और घमंड
- तीन चीजों के लिए मर मिटें – धैर्य, देश और मित्र
- तीन चीजें इंसान की अपनी होती हैं – रूप, भाग्य और स्वभाव
- तीन चीजों पर अभिमान न करें – ताकत, सुंदरता और यौवन
- तीन चीजें जो जीवन को संवारती हैं – कड़ी मेहनत, निष्ठा और त्याग
- कोई भी कार्य करने से पहले – सोचें, समझें, फिर करें।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस



अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के उपलक्ष्य में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में 21 जून 2015 को प्रातः 7.00 बजे एक योग सत्र रखा गया। इस सत्र में संस्थान के तत्कालीन महानिदेशक श्री पार्थ प्रतिम मित्रा, संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ भाग लिया।

योग एक प्राचीन भारतीय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास परम्परा है। 27 सितम्बर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर अंगीकृत करने का आहवान किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि योग प्राचीन भारतीय परम्परा का एक बहुमूल्य उपहार है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। उनके इस आहवान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ और इसके अनुक्रम में 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया।



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पण्धारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार—प्रसार करना
- वैशिक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।



वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैकटर 24, नौएडा—201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट : www.vvgnli.org